बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–2/अ0प्र0–1–221/2016 927 /पटना, दिनांक :– 5-5-22

श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज अंतर्गत पदस्थापन काल में SH–77 मुख्य सड़क बड़हरा चौक से लाल मोहन नगर पथ (पुल सहित) निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1013 अनु0 दिनांक 26.05.2017 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, तद्‌लोक में समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यालय आदेश सं0–368 सह पठित ज्ञापांक–2988 अनु0 दिनांक 05.10.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 447 अनु0 दिनांक 28.01.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए असहमति के निम्नांकित बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2294 अनु0 दिनांक 16.08.2019 द्वारा श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :–

"जॉच प्रतिवेदन के अनुसार PCC में Contraction joint प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुसार किया हुआ नहीं पाया गया। इस संबंध में समर्पित बचाव बयान में Contraction joint किये जाने से संबंधित कोई साक्ष्य श्री पाण्डेय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री पाण्डेय का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।"

4. श्री पाण्डेय के पत्रांक शून्य दिनांक 22.01.2020 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में आरोप अप्रमाणित होने एवं इसके उपरान्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, किशनगंज द्वारा दिनांक 20.01.2018 को CC Pavment में Contraction Joint प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार स्थल पर पाये जाने का उल्लेख श्री पाण्डेय द्वारा किया गया। साथ ही इसी आरोप के संदर्भ में अभियंता प्रमुख की समीक्षा जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं होने, का भी उल्लेख श्री पाण्डेय द्वारा अपने द्वितीय बयाव बयान में किया गया।

5. श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित उक्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त यह परिलक्षित हुआ कि तत्कालीन अभियंता प्रमुख द्वारा अपनी समीक्षा में यह अंकित किया है कि ग्रामीण पथों में Expansion joint का प्रावधान नहीं होता है। जहॉ तक Contraction joint का प्रश्न है, जॉच पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य यथा फोटोग्राफ या Measurement आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, किशनगंज द्वारा मुख्य अभियंता–1 को समर्पित प्रतिवेदन में यह अंकित है कि पथ के PCC भाग में

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

Contraction joint प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार स्थल पर पाया गया। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकृत करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

6. अतः उक्त के आलोक में श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

28/4/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–221/2016 927 /पटना, दिनांक :– 5-5-22

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1/2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज/बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/22

अभियंता प्रमुख